

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक : प.1(78)एमई/ग्रुप-1/82


जयपुर, दिनांक : 19 FEB 2019

आदेश

डॉ. शलभ शर्मा, वरिष्ठ आचार्य, पी.एस.एम, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर (हाल पदस्थापित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर) जिनकी जन्म तिथि 19.06.1957 है, को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 01.02.2019 के क्रम में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1) के अन्तर्गत राज्य सेवा से दिनांक 28.02.2019 को मध्याह्न पश्चात से राज्य सेवा से एतद्द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. शलभ शर्मा के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से  
  
(मोहन लाल वर्मा)  
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, उदयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, उदयपुर।
5. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर।
7. डॉ. शलभ शर्मा, वरिष्ठ आचार्य, पी.एस.एम, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर हाल पदस्थापित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, डूंगरपुर।
8. एसीपी, चिकित्सा शिक्षा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

  
(जी.आर.रावल)  
शासन सहायक सचिव